



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 21.05.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने ट्यूबबेल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 05 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से ट्यूबबेलों से चोरी किए हुए केबल के टुकड़े , 11 किलो 800 ग्राम तार (कॉपर) , 01 स्टार्टर , 01 स्टार्टर बॉडी, 09 कट आउट, 02 पेचकस ,02 प्लास, 01 हथौडा, 01 छैनी, 03 चाबी तथा 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, एक अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त 01 कार सेन्ट्रो नं0 DL-9CQ-8986 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक

12.03.2024 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी बिजेन्द्र सिंह पुत्र भूले सिंह निवासी ग्राम कमाला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम कमाला के जंगलों से 10-11 ट्यूबबेलों से केबल व स्टार्टर का सामान आदि चोरी कर लिया गया है ।



इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 85/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

2-दिनांक 01.04.2024 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी धर्मपाल पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम कमाला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम कमाला के जंगल से ट्यूबबेलों के स्टार्टर की पत्ती, कट आउट व समरसैबिल की केबिल चोरी कर ली गयी है । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 109/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा ट्यूबबेल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 05 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से ट्यूबबेल के केबल के टुकड़े ,11 किलो 800 ग्राम तार (कॉपर) , 01 स्टार्टर , 01 स्टार्टर बॉडी, 09 कट आउट, 02 पेचकस ,02 प्लास, 01 हथौडा, 01 छैनी, 03 चाबी तथा 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, एक अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त 01 कार सेन्ट्रो नं0 DL-9CQ-8986 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त ट्यूबबेल चोरी का खुलासा करने वाली टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 10,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आकिब मलिक पुत्र असगर निवासी रशीदिया मस्जिद के पास थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

हाल निवासी पीर वाली गली कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

2-श्याम कुमार पुत्र नन्दकिशोर निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

हाल निवासी आजाद नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

3-पप्पू उर्फ रहीसुद्दीन पुत्र बाबू निवासी गिरी मार्केट एकमीनार मस्जिद कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

4-अमित पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

हाल निवासी नाजिम कॉलोनी गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-जुबैर पुत्र आजम अली निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग विगत करीब 06-07 माह से जनपद बागपत क्षेत्र के अलग-अलग थाना क्षेत्र के जंगलों में ट्यूबबेलों पर स्टार्टर, तार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इनमें स्थानीय अभियुक्त 1-श्याम कुमार, 2-अमित कुमार, 3-आकाश, 4-सोनू, 5-जुबैर आसपास के क्षेत्रों में दिन में रैंकी करते थे तथा अपने साथियों लोनी निवासी 1-आकिब, 2-पप्पू उर्फ रहीसुद्दीन, 3-रहीश पुत्र अकबर, 4-कासिफ, 5-दिलशाद को बुलाकर घटनाओं को अंजाम देते थे तथा ट्यूबबेल से चोरी किए तारों को जलाकर कॉपर व तांबा निकाल लेते थे, जिनको अच्छी कीमत पर लोनी, गाजियाबाद व दिल्ली में बेच देते थे। हम लोग चोरी करके प्राप्त तारों को जलाकर निकाले गये तांबा व सामान को बेचने के उद्देश्य से पप्पू उर्फ रहीसुद्दीन की सेन्ट्रो गाडी नं0 DL-9CQ-8986 दिल्ली ले जा रहे थे।

- 10-मु0अ0सं0 445/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 11-मु0अ0सं0 433/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 12-मु0अ0सं0 313/24 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 13-मु0अ0सं0 316/24 धारा 457/380 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 14-मु0अ0सं0 81/24 धारा 379 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 15-मु0अ0सं0 97/24 धारा 379 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 16-मु0अ0सं0 117/24 धारा 379 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- केबल के टुकड़े ।
- 11 किलो 800 ग्राम तार (कॉपर)
- 01 स्टार्टर , 01 स्टार्टर बॉडी ।
- 09 कट आउट ।
- 02 पेचकस ,02 प्लास, 01 हथौडा, 01 छैनी, 03 चाबी ।
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस ।
- एक अवैध चाकू ।
- घटना में प्रयुक्त 01 कार सेन्ट्रो नं0 DL-9CQ-8986

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मगनवीर सिंह गिल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल मय सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 3-व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री नन्हें सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 7-का0 399 राहुल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 8-का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना चांदीनगर

दिनांक 21.05.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 105/24 धारा 323/504/506/307 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.05.2024 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री सिद्धान्त पुत्र जगतपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1- विनोद, 2-प्रमोद पुत्रगण वेदप्रकाश निवासीगण ग्राम



ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा उसके साथ पैसों के लेन-देन को लेकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी तथा मारपीट करते हुए जान से मारने की नीयत से सिर पर डण्डा मारा । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 105/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 105/24 धारा 323/504/506/307 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-विनोद आर्य पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-प्रमोद पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।